

आदेश

संख्या - वि० प्रा० (I) न¹-02/2012/ 256 /पटना, दिनांक - 23-1-2020


विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में पूर्व से नियोजित निम्नांकित सहायक प्राध्यापकों के संविदा अवधि विस्तार पर विचार किया गया :-

- I. डॉ० अशोक कुमार (गणित)
- II. डॉ० सारंगधर सिंह (गणित)
- III. डॉ० कुमार अमिताभ (गणित)
- IV. डॉ० मनोज कुमार सिंह (गणित)
- V. डॉ० श्रीमती श्वेताम्बरा (गणित)
- VI. डॉ० ईना बहन (भौतिकी)
- VII. श्री कुमार संजय सिन्हा (भौतिकी)
- VIII. डॉ० मुकेश कुमार सिन्हा (भौतिकी)
- IX. डॉ० मनोज कुमार सिंह (रसायन)
- X. श्री राजेश रंजन कुमार (रसायन)
- XI. श्री राकेश रौशन (रसायन)

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कोटि विशेष के लिए आरक्षित पदों के अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह गये पदों पर अन्य कोटि के उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जो आरक्षण नियमों के अनुकूल नहीं था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्शित किया गया कि विभागीय संकल्प संख्या- 12534 दिनांक- 17.09.2018 के अनुसार जिन संविदा नियोजनों में आरक्षण के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया गया है, वैसी नियुक्ति को अवैध नियुक्ति माना जाएगा।

उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में यथाउल्लिखित सहायक प्राध्यापक अपने आरक्षण रोस्टर के प्रतिकूल संविदा पर नियोजित रहे हैं, इनका अवधि विस्तार करना नियमानुकूल नहीं है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) न¹-02/2012/ 256 /पटना, दिनांक - 23-1-2020
प्रतिलिपि- प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी संबंधित सहायक
प्राध्यापक/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान
आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/विभागीय सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर
(अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23.1.20

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।